न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– हरि मोहन, I.A.S.

प्रकरण संख्या –52/2021 (अपील)

जीसीएसएस नं0 2021/282

मोहनी बाई पुत्री शंकरलाल पत्नि भैरूलाल जाति धाकड निवसी ग्राम जगन्नाथपुरा, तहसील लाडपुरा जिला, कोटा

---अपीलाण्ट.

बनाम

1. बृजमोहन आत्मज शंकरलाल
2. भैरूलाल आत्मज शंकरलाल
3. रामस्वरूप आत्मज शंकरलाल
   जाति धाकड निवासीगण ग्राम दसलाना माली मोहल्ला तहसील लाडपुरा जिला कोटा जिला कोटा (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा

---रेस्पोडेन्ट.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार रामगंजमण्डी आदेश दिनांक 22.11.1975 नामान्तकरण संख्या 135 ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

उस्थिति

1. श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक–25.04.022

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम दसलाना में खातेदार मृतक खातेदार का फौती नामा0 सं0 135 में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व जांच आई0एल0आर0 अनुसार अपने निर्णय दिनांक 22.11.1975 से स्वीकृत किया गया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 27.10.2021 को लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं धारा 96 सीपीसी के साथ पेश कर कथन किया है कि अपीलान्टा मृतक खातेदार शंकरलाल आत्मज कन्हीराम जी की जायन्दा पुत्री है तथा अपीलान्टा के रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 सगे भाई है । अपीलान्टा मृतक शंकरलाल जी की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी एवं काबिज काश्त होने से अपीलान्टा राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी होने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलान्टा का नाम दर्ज नहीं किया जो कि त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अपील स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल नम्बर 135 दिनांक 22.11.1975 खारिज कर अपीलान्टा का नाम रेस्पोडेन्ट कम 1 लगयत 3 के साथ दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट की ओर से एडवोकेट शम्भूदयाल विजयवर्गीय का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्टा एंव रेस्पोडेन्ट सगे भाई बहन है जिनके पिता शंकरलाल आत्मज कन्हीराम जी है । अपीलान्टा एवं रेस्पोउेन्ट के पिता शंकरलाल जी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा में 2 किता की 66 बीघा 17 बिस्वा आराजी संयुक्त खातेदारी में एवं ग्राम दसलाना में कुल 12 की 124 बीधा 19 बिस्वा

जिला कलेक्टर
कोटा

आराजी स्थित संयुकत खातेदारी में दर्ज थी । शंकरलाल जी का स्वर्गवास होने पर इंतकाल नम्बर 135 दिनांक 12.11.1975 तस्दीक किया गया । उक्त इंतकाल अपीलान्ट की बिना जानकारी एवं सूचना के तस्दीक किया गया है । अपीलान्ट एवं रेस्पोउेन्ट सगे भाई बहन होने एवं एक ही पिता की संतान होने से अपीलान्टा मृतक शंकरलाल जी की पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा मृतक शंकरलाल जी की आराजी में रेस्पोउेन्ट के समान अपीलान्ट का हक अधिकार एवं कब्जा काश्त है । ग्राम दसलाना में ही अन्य आराजी खसरा नम्बर 165 स्थित है जिसका इंतकाल नम्बर 169 दिनांक 11.10.2001 तस्दीक किया गया जिसमें मृतक शंकरलाल जी का फौती इंतकाल अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के नाम संभाग से दर्ज किया गया । अपीलान्ट को जानकारी होने पर जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है । इस संभदर्भ में आरआरटी 2018 (1) पेज नम्बर 601 एवं आरबीजे 2000 पेज नम्बर 108 प्रस्तुत है जिसमें यह माना गया है कि मियाद पर उदारता का रूख अपनाया जाना चाहिए और मियाद के आधार पर हक व अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए व प्रभावित पक्षकार को बिना सुने पारित आदेश प्रारम्भ से शून्य है । आरआरटी 2011(1)432 लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलान्ट का नाम रेस्पोडेन्ट के साथ दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट की द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जिस नामान्तकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है उसे 47 साल हो गये है ओर 47 साल बाद कई व्यक्ति जो खातेदार थे, उनकी मृत्यु हो गई ओर उनके वारिसान हो गये है और 47 साल से निर्बाध रूप से खातेदर काबिज काश्त चले आ रहे है । इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य है । आज भी जमीन संयुक्त खातेदारान के खातेदारी में अंकित है और जिसमें अन्य कई सह खातेदारान रिकार्डेड खातेदारान है जो आवश्यक पक्षकार है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये ऑर्डर 1 रूल 9 के तहत भी अपील नेसेसरी पार्टी के अभाव में चलने योग्य नहीं है । 47 साल बाद प्रस्तुत का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है और न ही किस माध्यम से जानकारी हुई इसका उल्लेख किया गया और ना ही अपील में देरी से प्रस्तुत करने का कोई कारण ही अंकित किया गया है ओर नहीं देरी से के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया है जबकि मननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार इतनी देरी से प्रस्तुत अपील अपर्याप्त कारणों के आधार पर प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है । अपीलान्टा ने अपील में कोई मियाद बाहर का कारण व जानकारी की तारीख अंकित नहीं की है ओर धारा 5 की दरख्वास्त में भी जानकारी की कोई तिथि अंकित नहीं की गई है जिसका जवाब रेस्पोडेन्ट द्वारा मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है इसलिए अपील अवधि बाधित होने के आधार पर अपील सव्यय खारिज किये जाने योग्य है । अपीलान्ट द्वारा जो लिखित बहस प्रस्तुत की गई उसमें भी मियाद के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है ओर जो कानूनी नजीरे प्रस्तुत की गई है वह भी इससे सम्बन्धित नहीं है । आरआरडी 2018 पार्ट (1) पेज 621 अतिक्रमण के सम्बन्ध में है न कि मियाद के सम्बन्ध में । इसलिये भी मियाद के बिन्दु पर अपीलान्टा की अपील खारिज किये जाने योग्य है । माननीय आरआरटी 2018 पार्ट (1) पेज 188 राजस्थान उच्च न्यायालय में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि ढाई वर्ष बाद प्रस्तुत अपील को भी उनके द्वारा मियाद बाद ही माना है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2004 आर आर टी पार्ट (1) पृष्ट 576 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि 12 वर्ष के विलम्ब के बाद प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त किया गया है और यह निर्धारित किया है कि यह नहीं माना जा

जिला कलेक्टर
कोटा

सकता है कि इसको 12 वर्ष तक जानकारी नहीं हुई हो जबकि यहां उक्त अपील 46 साल बाद प्रस्तुत की गई है जो अपने आप में काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । इसलिये अपील अपीलांटा कानून चलने योग्य नहीं है और सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से सव्यय निरस्त फरमाई जावें । माननीय आरआरटी 2018 पार्ट (1) पेज 188, आर आर टी 2004 पार्ट (1) पृष्ट 576 अपील के मियाद बाहर होने के सम्बन्ध में पेश किये है ।

6. हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्टा द्वारा यह अपील तहसीलदार लाडपुरा के नामान्तकरण संख्या 135 दिनांक 22.11.1975 के विरूद्व दिनांक 27.10.2021 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है जो लगभग 46 वर्ष बाद पेश की है । विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कोई ठोस आधार एवं तथ्य अपील में अथवा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी उसके पुत्र द्वारा दिनांक 1.10.2021 को बताने पर होना अंकित किया है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करने के सम्बन्ध में निवेदन किया है इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2018 पार्ट (1) पेज 601 एवं आरबीजे 2000 पेज नम्बर 108 प्रस्तुत है जिसमें यह माना गया है कि मियाद पर उदारता का रूख अपनाया जाना चाहिए किन्तु अपीलान्टा द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया है जिस आधार पर 46 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जा सकें । इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय आरआरटी 2018 पार्ट (1) पेज 188, आर आर टी 2004 पार्ट (1) पृष्ट 576 अपील के मियाद बाहर होने के सम्बन्ध में पेश किये है ।

7. वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर हमारा मानना है कि अपीलान्टा रेस्पोडेन्टगण की सगी बहन है, ऐसा सम्भव नहीं हो सकता है कि उन्हें अपीलाधीन नामान्तकरण की 46 वर्षो तक जानकारी नहीं हो । ऐसी स्थिति में यह अपील मियाद बाहर होने से स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

8. परिणामस्वरूपः अपील अपीलांट 46 वर्ष बाद प्रस्तुत की जाने के कारण तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करने के पर्याप्त एवं उचित कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अवधि बाधित मानी जाकर मियाद के बिन्दु पर अस्वीकार कर खारिज की जाती है । अपीलाधीन नामान्तकरण में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है । अपीलार्थी अपना दावा साबित करने के लिए सक्षम न्यायालय में नियमित वाद पेश के लिए स्वतंत्र है ।

9. निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा